

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

फैक्स/ई-मेल

पटना, दिनांक / /2018

संख्या-3/विधि-01-20/2014-

/स्वा0, डा0 कृष्ण कुमार राय,

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम-सह प्रभारी सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत सिविल सर्जन कार्यालय, रोहतास, सासाराम का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/विधि-01-20/2014- 423 (3) स्वा0, पटना, दिनांक 14/6/2018
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, रोहतास, सासाराम/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/ डा0 कृष्ण कुमार राय, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम-सह प्रभारी सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9,10 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी
अपथि